राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कालूराम बनाम बनवारी

तारीख हुक्म	882/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 15/04/2026 को पेश हो।	
15/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 04/05/2026 को पेश हो।	
04/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की वाके ग्राम फतेहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर मे आराजी खाता संख्या 224 खसरा नम्बर 602 रकबा 1.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603/1624 रकबा 1.77 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 3.29 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 224 प्रार्थीगण सख्या 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जिसका प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 उपयोग-उपभोग कर लगान सरकार में जमा कराते आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 601, 602/1623 में आने जाने हेतू रास्ता कोई रास्ता नहीं है। उक्त भूमियो के उत्तरी आर में खसरा नम्बर 612, 597/1418 597 अवस्थित है जिसमे से खसरा नम्बर 612 राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 के दर्ज है तथा खसरा नम्बर 597/1418 राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण संख्या 16 ता 19 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा खसरा नम्बर 597 अप्रार्थीगण संख्या 20 ता 34 के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज शुद्धा है। प्रार्थीगण की भूमि के उत्तरी दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 34 की खसरा नम्बर 612, 597/1418, 597 जमीन अवस्थित है जिसके उत्तर दिशा ने ग्राम पंचायत फतेपुरा द्वारा ग्रेवल रोड अवस्थित है प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 601, 602/1623, में आने जाने व साधन ले जाने हेतू कोई रास्ता मौजूद नही है खसरा नम्बर 601 मे प्रार्थीगण के पुख्ता मकान बाडे, गोशरे बना रखे है. जिस कारण प्रार्थीगण को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजारी नक्शा जो कि प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है में लाल रगं से दर्शित ए टू बी भाग तक 4 मीटर चौडा रास्ता लेना चाहता है। ऐसे में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि व मकानात में आने जाने हेतू अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 34 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 612, 597/1418, 597 मे नजरी नक्शे मे लाल रंग से वर्णित अनुसार ए टू बी रास्ता प्रार्थीगण को नही दिया गया तो प्रार्थीगण का काश्त करना व मकानात में प्रवेश करना दुर्भर हो जायेगा, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कालूराम बनाम बनवारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
552/2021		

हो जायेगी। प्रार्थना पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 601, 602/1023 मे आने जाने व काश्त हेतू साधन ले जाने तथा मकान का उपयोग उपभोग करने लिये अपार्थीगण संख्या 1 ता 34 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 612, 597/1418, 597 में से नजरी नक्शे मे दर्शित लाल रंग मार्क ए टू बी जो उत्तर दक्षिण लगभग 116 मीटर तथा पूर्व पश्चिम 4 मीटर चौडा प्रार्थीगण को दिलवाया जाते हुए तदनुसार अप्राथी संख्या 35 को राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान विजयसिंहपुरा में नियत कर नियत दिनांक 22/10/2021 पारित करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अपील मीमो में अंकित तथ्यों पर एवं अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट का समुचित अध्ययन कर प्रार्थी के पास उसकी खाते की आराजी तक कृषि साधनों की पहुंच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नही होने पर विधिक प्रावधानों के तहत सही रूप से अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/10/2021 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |